

क्रमांक : एफ ( ) रीडर/2025/ 247

दिनांक :- 17/12/2025

निमित्त :-  
तहसीलदार,  
तहसील-कुशलगढ़

विषय :- निषेधाज्ञा की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 12/2022 श्री वागजी बनाम कलजी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. में न्यायालय हाजा के द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश की पालना सुनिश्चित करें।  
संलग्न :- उपर्युक्तानुसार।

  
(राकेश कुमार च्योल)

उपखण्ड अधिकारी,  
कुशलगढ़, जिला-बाँसवाड़ा (राज.)


तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही

नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुकम की ताकीद में जारी हुए

09/12/2025

पत्रावली पेश। पत्रावली का इतने उल्लेख किया गया। पत्रावली में प्रार्थी (वादी) का वाद पत्र, संलग्न शपथ अभिलेखों तथा मुताबिक जमाबंदी नोटेशन संवत् 2074 से 2077 अनुसार शपथ ग्राम क्रमदिया पहवार हल्का अद्वालपुरा तहसील कुशावाड़ा का खसरा संख्या-204, 205, 219, 220, 221, 223, 224, 241, 244 पर प्रार्थी (वादी) व अप्रार्थीगण (प्रतिवादी) कब्जे का इतने में है तथा प्रतिवादी संख्या-03 व 08 से विस्म अनुबंध व जमाबंदी के आधार पर खसरा संख्या-222 खेत नामे बाबनियावांसडी वाला प्रार्थी के कब्जे का इतने क्षेत्र विस्म समग्र से खेती करता है तथा मालिकाना हक है। किसी भी अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का खसरा नम्बर-222 में कोई हक नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे शुदा खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए प्रार्थी की फसल नष्ट करने की कोशिश की गयी तथा खेत से बेवस्थाप करने की धमकी दी गयी। पत्रावली में प्रवर्द्ध अनुसार प्रतिवादीगण के विस्म अनुपस्थित से एकरा का कार्यवाही के आदेश प्राप्त हैं। प्रार्थी (वादी) खातेदार अनाधिकृत हस्तक्षेप से पीड़ित होने से रक्षा निषेधाज्ञा स्वीकार होने न्यायोचित है अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विस्म मूलवाद के निस्तारण तक सर्वे नं. 222 में प्रार्थी को शोषित करने के लिये निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा अप्रार्थीगण को पक्षान्द किया जाता है कि वे पुराना भूमि में मजि पर अधारित्याति बनाये रखे तथा किसी भी अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करेंगे व न किसी से करवायेगे। उक्त निधि से ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम होने।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कुशावाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)